राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–541/2025

इन्द्रा **–अपीलार्थी**

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.02.2025
आदेश की दिनांक : 16.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से : श्री प्रमेंद्र बोहरा, अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नयाबास ब्लॉक शाहपुरा जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र दिवाली अटरू जिला बांरा में किया गया। जिसकी अनुपालना में आदेश दिनांक 18.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी का आगे यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 सुमन के स्थान पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 सुमन को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित कर लाभ देने की गरज से स्थानान्तरित किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 6 परिवीक्षाधीन है (अनुलग्नक–6)। परिवीक्षा काल में चल रहे कार्मिकों के संबंध में चिकित्सा विभाग के दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–7) को यह आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई कार्मिक परिवीक्षा काल में है तो ऐसे कार्मिकों पर उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों

को अग्रिम आदेशों तक क्रियान्विति नहीं किया जावे। अतः निजी प्रत्यर्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अतः पद रिक्त नहीं होने से उसी स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 (अनुलग्नक–2), दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–3) एवं दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–4) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरंतर एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केंद्र नयाबार ब्लॉक शाहपुरा, जिला जयपुर में समस्त वेतनभत्तों सहित कार्य करने दिया जावे।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से लिखित कथन किया गया कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की पूर्णतया पालना हो चुकी है एवं पालना होने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी उपस्वास्थ्य केन्द्र नयावास में माह अगस्त, 2021 से लगातार कार्यरत है जहां उसे करीब साढे तीन वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा अपीलार्थी का यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही स्थान पर पदस्थापित रह सके। निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 का यह भी तर्क है कि अपील संख्या 1602/2025 सुमन गुर्जर बनाम चिकित्सा विभाग एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 में माननीय अधिकरण द्वारा उत्तरदाता की अपील को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 की परिवीक्षाकाल की शर्त को अनुचित मानते हुए उत्तरदाता को आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में कार्यमुक्त करने के आदेश पारित किए है। अधिकरण के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी को यह अधिकार नहीं है कि वह समान न्यायालय में उत्तरदाता के परिवीक्षाकाल पर जिसका निर्णय होने के बावजूद स्थगन आदेश प्रभावी रखा जा सकता है। अपीलार्थी ने जानबूझकर उक्त तथ्यों से माननीय अधिकरण को अवगत नहीं करवाया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नयाबास ब्लॉक शाहपुरा जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र दिवाली अटरू जिला बांरा में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया जाकर दिनांक 18.01.2025 को कार्यमुक्त किया गया। जहां तक निजी प्रत्यर्थी 6 को समंजित करने का प्रश्न है, हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1)

डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–6 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–6 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को परिवीक्षाधीन अवधि में होने से स्थानांतरण नहीं किए जाने का हवाला दिया है इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील संख्या 601/2024 मोनिका बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 में अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार कर दिया गया। तद्नुसार परिवीक्षाधीन कार्मिक का स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6. सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा दिनांक 25.02.2025 को जारी स्थगन आदेश प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य